>

Title: Need to impose a ban on the entry of private companies in the Opium-processing industry.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौरगढ़ तथा झालावाड़ आदि जिलों में अफीम की काश्त बहुतायत में होती है। अफीम के प्रसंस्करण के लिए यहां पर ओपियम एंड अल्कोलायड फैक्ट्री भी है जिसमें सैंकड़ों लोग कार्य करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार ने अफीम प्रसंस्करण करने का कार्य निजी कंपनी से करवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए दो निजी कंपनियों का चुनाव भी किया जा चुका है। सरकार के इस निर्णय से लोगों में इस बात का भय व्याप्त है कि यह सरकार की निजीकरण की मंशा तथा अतिसंवेदनशील एवं लाभ के उपक्रमों पर तालेबंदी की शुरूआत है। जहां फैक्ट्री में कार्यरत लोग अपनी रोजी-रोटी के प्रति आशंकित हैं वहीं विभिन्न समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार भी आए हैं तथा आशंका व्यक्त की गई है कि उक्त कंपनियां अफीम की खेती पर भी क्षेत्राधिकार के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं और वे अफीम से कोडिन फास्फेट बनाने की बजाए मार्फिन भी सप्लाई कर सकती हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर अफीम प्रसंस्करण का कार्य निजी कंपनियों से न कराकर स्वयं पूर्व की भांति मंत्रालय के अधीन ही इन फैक्ट्रियों का संचालन किया जाए।